न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म०प्र०) <u>(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)</u>

Filling no. RCS-A/814/2017 CNR no. MP30010070512017 सिविल वाद क्रमांक 225 ए / 2017 संस्थित दिनांक 07.12.2017

- कन्हई पुत्र बलराम बघेल, उम्र–71 वर्ष,
- काशीराम बघेल पुत्र मुले बघेल, उम्र-60 वर्ष,
- रामलखन बघेल पुत्र मुले बघेल, उम्र–55 वर्ष,
- 4. तिलक सिंह पुत्र महाराज सिंह, उम्र–60 वर्ष,
- 5. हरगोविंद पुत्र महाराज सिंह बघेल, उम्र–55 वर्ष,
- नरेश सिंह पुत्र महाराज सिंह बघेल, उम्र–50 वर्ष, निवासीगण–ग्राम हरवंश की खोड़, परगना व जिला–भिण्ड (म०प्र०)
- 7. रामबरन पुत्र रतीराम, उम्र–55 वर्ष,
- 8. सावित्री देवी बेवा सीताराम बघेल, उम्र–50 वर्ष, ∫
- 9. जितेन्द्र पुत्र सीताराम बघेल, उम्र–15 वर्ष नाबालिग सरपरस्त माँ सावित्री देवी पत्नी सीताराम बघेल्ं निवासीगण-ग्राम रतनूपुरा, परगना व जिला-भिण्ड (म०प्र०)
- 10. संतोष पुत्र रामबरन बघेल, उम्र–32 वर्ष,
- 11. राजेश पुत्र रामबरन बघेल, उम्र–30 वर्ष,

निवासीगण—ग्राम हरवंश की खोड़, परगना व जिला—भिण्ड (म०प्र०)

流.......अावेदकगण / वादीगण

/ / बनाम ///

- 1. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जिला-भिण्ड (म0प्र0)
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जिला-भिण्ड (म0प्र0)
- 3. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, जिला–भिण्ड (म०प्र०)असल अनावेदकगण / प्रतिवादीगण
- 4. रामबिहारी पुत्र दीनदयाल, उम्र–55 वर्ष,
- 5. रामहेत पुत्र दीनदयाल, उम्र–52 वर्ष, निवासीगण–ग्राम काशीपुरा, परगना व जिला–भिण्ड (म०प्र०)

- 6. सुखपाल पुत्र ऊदल सिंह, उम्र-75 वर्ष,
- 7. रामरतन पुत्र ऊदल सिंह, उम्र-70 वर्ष,
- 8. शांति देवी बेवा जण्डेल सिंह, उम्र-70 वर्ष,
- 9. छक्कीलाल पुत्र जण्डेल सिंह, उम्र–50 वर्ष,
- 10. कल्याण सिंह पुत्र जण्डेल सिंह, उम्र–45 वर्ष,
- 11. उत्तरा देवी बेवा बहादुर सिंह, उम्र-70 वर्ष,
- 12. होतम सिंह पुत्र बहादुर सिंह, उम्र-40 वर्ष,
- 13. मुन्नालाल पुत्र भवानी सिंह, उम्र–60 वर्ष,
- 14. रामकृष्ण पुत्र भवानी सिंह, उम्र-55 वर्ष,
- 15. खुशीराम पुत्र भवानी सिंह, उम्र–50 वर्ष,

निवासीगण–ग्राम रतनूपुरा, परगना व जिला–भिण्ड (म०प्र०)

16. रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ कुशवाह, उम्र–52 वर्ष,

निवासी–हरियल बाग, इटावा रोड, जिला–भिण्ड (म०प्र०)

17. संतोष कुमार पुत्र बलवंत सिंह, उम्र–40 वर्ष,

निवासी-स्वतंत्र नगर, वार्ड नं० ३५, कस्बा व जिला-भिण्ड (म०प्र०)

18. सिन्नेत सिंह पुत्र धन सिंह, उम्र-40 वर्ष,

निवासी-ग्राम हजूरी का पुरा, परगना व जिला-भिण्ड (म०प्र०)

- 19. धर्मेन्द्र पुत्र रामकिशोर, उम्र-24 वर्ष,
- 20. राजकुमार पुत्र रामकिशन, उम्र-21 वर्ष,
- 21. सोनू पुत्र रामकिशन, उम्र-28 वर्ष,
- 22. रामलाल पुत्र कुंअर पाल सिंह, उम्र–28 वर्ष,
- 23. रामकिशन पुत्र कुंअर पाल सिंह, उम्र—35 वर्ष, निवासीगण—ग्राम बाराकलां, परगना व जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....तरतीबी प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री अमृतपाल सिंह बघेल। प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह भदौरिया शासकीय अधिवक्ता। प्रतिवादी कमांक 2 द्वारा श्री अमर सिंह ऋषिश्वर अधिवक्ता। प्रतिवादी कमांक 3 एकपक्षीय। शेष प्रतिवादीगण अनिर्वाहित।

<u>//आदेश//</u> (आज दिनांक 16.01.2018 को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 2/17 का निराकरण किया जा रहा है।

- इस मामले में कस्बा भिण्ड, पटवारी हल्का नं0 52/1 परगना व जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क0 1538, 1546, 1548, 1560, 1776, 1779, 1782, 1783, 1787, 1788, 1808, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1829, 1606, 1768, 1777 / 1, 1778, 1785, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1803, 1804, 1807, 1816, 1819, 1794 / 1, 1794/3, 1794/4, 1794/5, 1794/6, 1794/7 (आगे "विवादित भूमियां" से निर्दिष्ट) पर स्वत्व व कब्जे की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है।
- आवेदन संक्षेप में यह है कि संपूर्ण विवादित भूमियां वादीगण एवं औपचारिक प्रतिवादीगण के स्वत्व व कब्जे की भूमियां है और पूर्वजों के समय से ही उन्हीं का कब्जा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 का विवादित भूमियों से कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिये प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 ने वादीगण एवं औपचारिक प्रतिवादीगण के स्वत्व व कब्जे की विवादित भूमियों को चिन्हित किया है। दिनांक 05.11.2017 को वादीगण ने कहा कि उनकी भूमियों पर आवास नहीं बनाये जा सकते हैं, इस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 व उनके अधीनस्थ ने वादीगण को झूंठे मुकदमें में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी। वादीगण के स्वत्व व कब्जे की विवादित भूमियों पर आवासहीनों के लिये आवास बनाने हेतू प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से अधिकृत नहीं हैं और विवादित भूमियों का अर्जन भी नहीं किया गया है। इसके बावजूद प्रतिवादी कमांक 1 से 3 प्रशासन की ताकत के बल पर झूंठे मुकदमें में जेल में बन्द करने की धमकी दे रहे हैं। वादीगण ने दिनांक 61.11.2017 व र्दिनांक 20.11.2017 को प्रतिवादीगण को धारा 80 सी0पी0सी0 व धारा 319 म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम की नोटिस भी दी, इस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 शीघ्रता से निर्माण कार्य पुरा करना चाहते हैं और इस हेत् मौके पर निर्माण सामग्री इकठठा करना शुरु भी कर दिया है। उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में नोटिस की अवधि के अवसान की प्रतीक्षा किये बिना सिविल वाद संस्थित किया गया है, प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है और वाद के लम्बन के दौरान विवादित भूमियों पर कब्जा कर निर्माण कार्य कर लेने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार कर वाद के लम्बनकाल तक विवादित भूमियों पर निर्माण कार्य करने से प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 का निषेधित किया जाये।
- प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब संक्षेप में यह है कि विवादित भूमियों पर स्वत्व के अर्जन के संबंध में स्पष्ट और पूर्ण अभिवचन नहीं किये गये हैं। विवादित भूमियों पर कृषि कार्य किये जाने का उल्लेख राजस्व अभिलेखों में नहीं है और मौके पर कोई खेती नहीं होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान निर्माण किये जाने हैं, किन्तु इस हेतु विवादित भूमियों को चिन्हित नहीं किया गया है और वादीगण को कभी कोई धमकी नहीं दी गई है। वादपत्र में किये गये समस्त अभिवचन असत्य और निराधार हैं, वास्तव में नगर पालिका परिषद को शासन से आवंटित भूमि

पर आवासहीनों के लिये पटवारी हल्का नं0 52/1 में मकान का निर्माण प्रस्तावित है और इस हेतु सर्वे नं0 1791, 1792, 1794/2, 1795, 1820, 1821/1, 1822/3, 1823/5, 1826/1 व 1828 कुल दस सर्वे नंबर चिन्हित किये गये हैं। कस्बा भिण्ड स्थित पटवारी हल्का नं0 52/1 के उक्त दस सर्वे नंबर में से सर्वे कं0 1794/2 व 1795 को सीवर ट्रीटमेंट प्लान हेतु आवंटित किया गया है और शेष आठ सर्वे नंबरों को हितग्राहियों के लिए भवन निर्माण के लिए आवंटित किया गया है। उक्त दस सर्वे नंबरों पर वादीगण का कोई हक व हित नहीं है और उक्त सभी दस सर्वे नंबर म0प्र0 राज्य की भूमि के रूप में राजस्व अभिलेखों में चरनोई भूमि के रूप में दर्ज है। वास्तव में वादीगण ने मिथ्या व निराधार तथ्यों के आधार पर नोटिस की अवधि के पूर्व ही सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त किये बिना वाद संस्थित किया है और वादीगण के पक्ष में कोई मामला नहीं है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाये।

5. प्रतिवादी कमांक 1 की ओर से उपस्थित शासकीय अभिभाषक ने यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी कमांक 2 का जवाब ही उनका जवाब है। इस मामले में प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा वाद की पैरवी हेतु तहसीलदार भिण्ड को अधिकृत किया गया है और कोई लिखित जवाब अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है।

6. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है किः 🌠

- 1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ?
- 2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
- 3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय बिन्दु कमांक 1 से 3 :—

7. प्रतिवादी क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता का प्रारम्भ में ही तर्क है कि म0प्र0 शासन द्वारा आवंटित भूमि पर हितग्राहियों के आवास का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, वादीगण द्वारा नोटिस की अविध की प्रतीक्षा नहीं की गयी है और बिना किसी आधार के वाद संस्थित किया गया है। उल्लेखनीय है कि धारा 80 सी0पी0सी0 में विहित नोटिस की अविध के अवसान के पूर्व वाद संस्थित किये जाने हेतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई0ए0 नंबर 1/17 स्वीकार किया गया है, प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है कि वादीगण द्वारा रिजस्टर्ड डाक से प्रेषित नोटिस का जवाब वादीगण को भेजा गया है और उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रतिवादी की आपत्ति स्वीकारयोग्य नहीं है।

- 8. वादीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों खसरा व खतौनी से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमियों पर वादीगण एवं औपचारिक प्रतिवादीगण का नाम भूमिस्वामी व कब्जाधारी के रूप में दर्ज है और विवादित भूमियों के किसी भी राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 का नाम भूमिस्वामी या कब्जाधारी के रूप में दर्ज नहीं है। प्रथम दृष्ट्या विवादित भूमियाँ वादीगण व औपचारिक प्रतिवादीगण के स्वत्व व कब्जे की प्रकट हो रही हैं।
- 9. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह विनिर्दिष्ट अभिवचन किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए मकान का निर्माण शासन द्वारा आवंटित भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है और इस हेतु पटवारी हल्का नं0 52/1 के सर्वे नं0 1791, 1792, 1794/2, 1795, 1820, 1821/1, 1822/3, 1823/5, 1826/1 व 1828 कुल दस सर्वे नंबर आवंटित किये गये हैं। उक्त सर्वे नंबरों में से किसी भी सर्वे नंबर के संबंध में वादीगण द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है और प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत खसरा पंचशाला में सर्वे क्मांक 1826/1 को छोड़कर शेष सभी सर्वे नंबर म0प्र0 शासन के स्वत्व व चरनोई भूमि के रूप में दर्ज हैं। खसरा पंचशाला में सर्वे क्मांक 1826/2 भी म0प्र0 शासन के स्वत्व व चरनोई भूमि के रूप में दर्ज हैं। खसरा पंचशाला में सर्वे क्मांक 1826/2 भी म0प्र0 शासन के स्वत्व व चरनोई भूमि के रूप में दर्ज हैं। आवास का निर्माण किये जाने के बारे में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है।
- 10. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब, खसरा पंचशाला व न्यायालय कलेक्टर, जिला—भिण्ड (म0प्र0) के प्रकरण क्रमांक 1/17—18/अ—19 (3) ए०पी०पी0—1641 आदेश दिनांक 28.12.2017 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद् भिण्ड के निवेदन पर कस्बा भिण्ड के पटवारी हल्का नं0 52/1 के सर्वे नं0 1791, 1792, 1794/2, 1795, 1820, 1821/1, 1822/3, 1823/5, 1826/1 व 1828 कुल दस सर्वे नंबर आवंटित किये गये हैं। कलेक्टर, भिण्ड के उक्त आदेश के पैरा—7 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि आवंटित की गयी भूमियों का राजस्व रिकॉर्ड अद्यतन कर मौके पर सीमांकन कराया जाये और मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् भिण्ड को कब्जा सौंपा जाये।
- 11. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमियों पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है। वादीगण का यह अभिवचन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मकान आवंटित किये जाने हेतु निर्माण कार्य वादीगण व औपचारिक प्रतिवादीगण के स्वत्व व कब्जे की विवादित भूमियों पर किये जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है, प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है कि वादीगण द्वारा प्रेषित नोटिस का जवाब दिया गया है और ऐसी दशा में वादीगण की आशंका को निर्मूल नहीं कहा जा सकता है।

- 12. विवादित भूमियाँ वादीगण के स्वत्व व कब्जे की भूमियाँ हैं, प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह स्पष्ट अभिवचन किया है कि विवादित भूमियों पर कोई निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है और इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन विवादित भूमियों के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में है। यदि शासन द्वारा आवंटित भूमि पर निर्माण की आड़ में वादीगण एवं औपचारिक प्रतिवादीगण के स्वत्व व कब्जे की भूमि पर किसी भी प्रकार निर्माण किया जाता है तो निश्चित रूप से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी।
- 13. उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों का निष्कर्ष है कि विवादित भूमियों के संबंध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु आवश्यक तीनों बिन्दु वादीगण के पक्ष में पाये गये हैं। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई०ए० नंबर 2/17 स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 को निषेधित किया जाता है कि वे कस्बा भिण्ड के पटवारी हल्का नं0 52/1 स्थित विवादित भूमियों सर्वे नं0 1538, 1546, 1548, 1560, 1776, 1779, 1782, 1783, 1787, 1788, 1808, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1829, 1606, 1768, 1777/1, 1778, 1785, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1803, 1804, 1807, 1816, 1819, 1794/1, 1794/3, 1794/4, 1794/5, 1794/6, 1794/7 पर वाद के लम्बन के दौरान किसी भी प्रकार का कोई निर्माण न करें और वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप न करें।
- 14. यहाँ यह स्पष्ट किया गया कि कस्बा भिण्ड के पटवारी हल्का नं0 52/1 में म0प्र0 शासन के स्वत्व की चरनोई भूमि सर्वे नं0 1791, 1792, 1794/2, 1795, 1820, 1821/1, 1822/3, 1823/5, 1826/1, 1828 या सर्वे कमांक 1826/2 पर निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रतिवादी कमांक 1 से 3 स्वतंत्र हैं और इन सर्वे नंबरों पर निर्माण हेतु कोई निषेधाज्ञा आदेश जारी नहीं किया गया है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला) (ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग—2 भिण्ड द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग—2 भिण्ड (म0प्र0)